रजिस्टर सं० डी--(डी)--73

REGISTERED NO. D--(D)--73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 36 नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 5, 1981 (भाद्रपद 14, 1903)

No. 36] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 5, 1981 (BHADRA 14, 1903)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I--खंड 1--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं	597
भाग I--खंड 2--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी की गयी सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	1139
भाग I--खंड 3--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं	--
भाग I--खंड 4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गयी सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	1191
भाग II--खंड 1--अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II--खंड 1-क--अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II--खंड 2--विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	
भाग II--खंड 3--उप-खंड (i)--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	1807
भाग II--खंड 3--उप-खंड (ii)--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	2495
भाग II--खंड 3-(iii)--भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी में प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खंड 3 या खंड 4 में प्रकाशित होते हैं)	469
भाग II--खंड 4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	311
भाग III--खंड 1--उच्चतम न्यायालय, महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेलवे प्रशासनों, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं	10459
भाग III--खंड 2--पेटेन्ट कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं और नोटिस	473
भाग III--खंड 3--मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं	93
भाग III--खंड 4--विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	2439
भाग IV--गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा विज्ञापन और नोटिस	169
भाग V--अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु आदि के आंकड़ों को दिखाने वाला अनुपूरक	*

*पृष्ठ संख्या प्राप्त नहीं हुई

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)	597
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, etc. of Government Officers issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence)	1139
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Resolutions and non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	—
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	1191
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION I-A.—Authoritative text in the Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of the Select Committees on Bills	*
PART II—SECTION 3.—SUB.-SEC. (i).—General Statutory Rules (including orders, bye-laws, etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	1807
PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (ii).—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	2495
PART II—SECTION 3(iii).—Authoritative texts in Hindi (other than such texts published in section 3 or section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules and Statutory Orders (including bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by General Authorities (other than Administrations of Union Territories)	409
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence ..	311
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Supreme Court, Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administrations, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	1045
PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Office, Calcutta ..	473
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	93
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	2439
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies ..	169
PART V.—Supplement showing statistics of Birth and Deaths etc. both in English and Hindi	*

भाग I—खण्ड 1

PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 25 अगस्त 1981

सं. 57-प्रेज/81—राष्ट्रपति केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दल के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री ओम प्रकाश,
हैड कांस्टेबल,
33 वीं बटालियन,
केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दल।

सेवाओं का विवरण जिसके लिए पदक प्रदान किया गया ।

15 अगस्त, 1980 को दिल्ली के बल्लीमारान क्षेत्र में साम्प्रदायिक झगड़े की आशंका थी। यह सूचना प्राप्त होने पर कि बल्लीमारान में झगड़ा होने को है, लगभग 12.30 बजे केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दल की एक प्लाटून तत्काल उस क्षेत्र को रवाना हुई। वहां पहुंचने पर यह देखा गया कि दिल्ली के अपर आयुक्त और दिल्ली पुलिस के अन्य कार्मिक पहले ही घटनास्थल पर पहुंच चुके थे और भीड़ ने पथराव करके जामा मस्जिद थाने के थाना अधिकारी को जख्मी कर दिया था और दिल्ली पुलिस के कुछ कार्मिकों को घेर रखा था। यह देख कर श्री ओम प्रकाश, हैड कांस्टेबल, श्री शंकर लाल, उप-निरीक्षक के साथ तेजी से भीड़ में घुस गए और थाना अधिकारी को अपनी पीठ पर उठाकर भीड़ से बाहर ले आए। उन्होंने एक और प्रयत्न भी किया और दिल्ली पुलिस के एक हैड कांस्टेबल और एक जख्मी कांस्टेबल को भी हिंसक भीड़ के चंगुल से बचाकर बाहर निकाल लाये। उसके बाद यह मालूम हुआ कि पुलिस के सहायक आयुक्त के साथ सहबद्ध वायरलैस आपरेटर का पता नहीं चल रहा था और भीड़ उसे दूर ले गई थी। श्री ओम प्रकाश ने उप निरीक्षक श्री शंकर लाल और तीनों कांस्टेबलों के साथ घिरे हुए वायरलैस आपरेटर को भी बचाया। अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए उन्होंने घायल वायरलैस आपरेटर को उठा लिया और उसे वापस सुरक्षित स्थान पर ले आये। पुलिस अपर आयुक्त के आदेश पर भीड़ पर तीन गोलियां चलायी गईं लेकिन जब भीड़ तितर-बितर नहीं हुई तो पुलिस अपर आयुक्त ने केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दल को पुन: गोली चलाने का आदेश दिया। दूसरी बार गोली चलाने के परिणामस्वरूप स्थिति में मामूली सुधार हुआ। उसके बाद पुलिस अपर आयुक्त संरक्षक के रूप में श्री ओम प्रकाश के साथ चावड़ी बाजार की ओर गए। अनेक जगह तैनात किये जाने के कारण, क्षेत्र में पुलिस की संख्या कम हो गई थी। तब श्री ओम प्रकाश ने जामा मस्जिद के लिए कुमुक लाने के वास्ते चांदनी चौक तुरन्त अकेले जाने के लिए अपने को पेश किया। रास्ते में उन्होंने अग्निशमन गाड़ी को घेरे हुए उत्तेजित उपद्रवी भीड़ को देखा, जिसने पानी के नलों को भी खोल दिया था ताकि अग्निशमन गाड़ी कारगर न हो पाए। परिणामी परिस्थितियों की परवाह न करते हुए श्री ओम प्रकाश ने अकेले ही नलों को बन्द किया और वाहन को उस स्थान पर जहां अग्निशमन की आवश्यकता थी, भिजवाने में सफलता प्राप्त की।

इस प्रकार श्री ओम प्रकाश ने उत्कृष्ट वीरता, असाधारण साहस तथा उच्चकोटि की कर्त्तव्य-परायणता का परिचय दिया।

2. यह पदक राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फल-स्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 15 अगस्त, 1980 से दिया जाएगा।

सं. 58-प्रेज/81—राष्ट्रपति केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दल के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री रवि कुमार,
सहायक कमांडेंट,
11वीं बटालियन,
केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दल।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

15 अगस्त, 1980 को लगभग 14.30 बजे केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दल की 11वीं बटालियन के मुख्यालय को एक सन्देश प्राप्त हुआ कि दिल्ली के हौज काजी थाने के क्षेत्र में साम्प्रदायिक उपद्रव हो गया है। सूचना प्राप्त होने पर श्री रवि कुमार, सहायक कमांडेंट पुलिस उप-अधीक्षक तथा उपलब्ध कांस्टेबलों के साथ केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दल के दो सेक्शनों का साथ देने के लिए, जो पहले ही वहां तैनात किये गये थे, तुरन्त घटनास्थल की ओर रवाना हुए। वे एक कम दूरी वाले मार्ग से बावरी, जोगीवाड़ा-बल्लीमारान के चौराहे की तरफ बढ़े। वहां पहुंच कर उन्होंने देखा कि एक हिंसक भीड़ ने कुछ मकानों तथा दुकानों को आग लगा दी थी। केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दल के सैक्शन को जोगीवाड़ा-बल्लीमारान की तरफ छतों के ऊपर तैनात किया गया था। श्री रवि कुमार ने शारीरिक रूप से हस्तक्षेप किया और केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दल के कार्मिकों की सहायता से भीड़ को 80 गज पीछे धकेल दिया ताकि अन्य दुकानों को आग लगाने से बचाया जा सके। अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए उन्होंने कुछ नागरिकों की सहायता से एक मकान में लगी आग को बुझाना भी शुरू कर दिया। उनका दाहिना हाथ आग से जलकर जख्मी हो गया। इसी दौरान एक अन्य क्रुद्ध भीड़ चान्दनी चौक से बल्लीमारान की तरफ बढ़ती हुई देखी गयी। वे भारी पथराव कर रहे थे। भीड़ के खतरे का विचार करते हुए श्री रवि कुमार तुरन्त भीड़ की तरफ बढ़े। उनको मकान की छतों से पत्थर मारे गए। तब उन्होंने चिल्ला कर कहा कि वे उसी

क्षेत्र के हैं तथा अपराधियों को जानते हैं। इससे भीड़ में भ्रान्ति फैल गई और वह तितर-बितर होने लगी। एक उपद्रवी ने श्री रवि कुमार को अपनी पिस्तौल का निशाना बनाया। यह देख कर केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दल के एक कांस्टेबल ने अपनी भरी हुई राइफल से उस ओर निशाना बनाया और यह भीड़ के तितर-बितर होने के लिए काफी था।

इस प्रकार श्री रवि कुमार ने कर्त्तव्य-परायणता, साहस तथा उत्कृष्ट वीरता का परिचय दिया।

2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 15 अगस्त, 1980 से दिया जाएगा।

सं. 59-प्रेज/81—राष्ट्रपति दिल्ली पुलिस के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री मोजीखां,
पुलिस निरीक्षक,
(थाना अधिकारी)
जामा मस्जिद,
दिल्ली।

श्री अन्नादुराई,
कांस्टेबल 1046/सी,
केन्द्रीय जिला,
दिल्ली।

श्री आर. एन. त्यागी,
कांस्टेबल सं. 263/सी,
केन्द्रीय जिला,
दिल्ली।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

15 अगस्त, 1980 की जामा मस्जिद में जब प्रार्थना समाप्त हुई और लोग मस्जिद में जाने लगे तो लोगों के एक दल ने मुरादाबाद की घटनाओं को दृष्टि में रखते हुए धार्मिक और पुलिस विरोधी नारे लगाने शुरू कर दिये। वे चावड़ी बाजार की ओर बढ़े। जब वे चावड़ी बाजार से गुजर रहे थे तो स्थानीय दुकानदारों का एक दल भी एकत्र हो गया और दोनों दल मुकाबले के लिये खड़े हो गये और एक दूसरे को चुनौती देने लगे। शीघ्र ही वे एक दूसरे पर पथराव करने लगे। यह सूचना प्राप्त होने पर श्री मोजीखां, पुलिस उपायुक्त और पुलिस सहायक उपायुक्त के साथ शीघ्रता से चावड़ी बाजार की ओर रवाना हुए। कुछ लोगों ने पुलिस दल को रोकने के लिये छतों से पत्थर फैंके। यह भांपते हुए कि यदि दोनों दलों को और निकट आने दिया गया तो खून खराबा हो जाएगा, पुलिस उपायुक्त, पुलिस सहायक उपायुक्त और श्री मोजीखां ने भीड़ को समझने और नियंत्रित करने का प्रयत्न किया। पुलिस दल ने एकदम कार्रवाई की और अश्रुगैस के गोले छोड़े। भीड़ कुछ कम हुई परन्तु फिर से गठित होकर उसने पुलिस कर्मचारियों पर आक्रमण करने का प्रयत्न किया। इसी बीच गली गुलियान की ओर से भीड़ का एक अन्य दल आया परन्तु पुलिस दल ने उसको वापस धकेल दिया। इसके पश्चात् उपद्रवी भीड़ ने सड़क के किनारे पड़े एक गैस सिलेंडर को आग लगाने की चेष्टा की परन्तु श्री मोजीखां ने भारी पथराव और प्रक्षेपकों का सामना करते हुए और अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए सिलेंडर को फटने से बचा लिया। उन्होंने भीड़ को और अधिक दुकानों को आग लगाने और लोगों को जान माल की क्षति पहुंचाने से भी रोका।

जामा मस्जिद से आ रहे लोगों के एक दल का बल्लीमारान क्षेत्र में भिड़न्त हो गया। इस भिड़न्त के बारे में सुनकर क्षेत्र के पुलिस उपायुक्त पुलिस सहायक आयुक्त और हौजकाजी के थाना अधिकारी एक थोड़े से पुलिस कर्मचारियों के दल के साथ शीघ्र बल्लीमारान की ओर रवाना हुए। पुलिस दल दो प्रतिद्वन्दी दलों के मध्य में खड़ा हो गया। अश्रुगैस छोड़ने के बावजूद दोनों ओर से भीड़ अधिकाधिक बढ़ती गयी और कुछ ही मिनटों में पत्थर, सोडावाटर की बोतलें, तेजाब की बोतलें आदि फैंकने लगी। दोनों दलों के लोग छतों पर चढ़ गये। पुलिस दल भीड़ को नियंत्रित करने के लिए उत्तर की ओर बढ़ा किन्तु उन लोगों ने पुलिस दल पर पत्थर, ईंटें, सोडावाटर की बोतलें और तेजाब की बोतलें फैंकनी आरम्भ कर दीं और यहां तक कि गोली भी चलाई। पुलिस ने कुमुक मंगवाई। उन्हें गोली चलाने पर बाध्य होना पड़ा। श्री अन्नादुराई और श्री आर. एन. त्यागी जो बुरी तरह से घिर गये थे और गंभीर रूप से घायल हो गये थे बिछुड़ गये। परन्तु भारी संख्या में हिंसक भीड़ की परवाह न करते हुए वे उनसे लड़ते रहे और अपनी जान को खतरे में डालकर काफी बड़ी भीड़ को रोकने में सफल हुए। पुलिस दल को इन दो बहादुर कांस्टेबलों का बचाव करने के लिये गोली चलानी पड़ी। उन्हें भीड़ को काबू में करने के लिए कभी कभी भीड़ के साथ हाथापाई करनी पड़ी। इस कार्य में पुलिस दल के वायरलैस सैट के भी टुकड़े-टुकड़े हो गये। परन्तु पुलिस दल ने साहस नहीं छोड़ा और भीड़ को नियंत्रित किया।

इस प्रकार श्री मोजीखां, श्री अन्नादुराई और श्री आर. एन. त्यागी ने उत्कृष्ट वीरता, साहस तथा उच्चकोटि की कर्त्तव्य-परायणता का परिचय दिया।

2. ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 15 अगस्त, 1980 से दिया जाएगा।

सं. 60-प्रेज/81—राष्ट्रपति केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दल के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री शंकर लाल,
उप निरीक्षक,
33वीं बटालियन,
केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दल।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

15 अगस्त, 1980 को दिल्ली के बल्लीमारान क्षेत्र में साम्प्रदायिक झगड़े की आशंका थी। यह सूचना प्राप्त होने पर कि बल्लीमारान में दंगा होने को है, केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दल की एक प्लाटून तुरन्त लगभग 12.30 बजे उस क्षेत्र को रवाना हुई। वहां पहुंचने पर मालूम हुआ कि दिल्ली पुलिस के अपर आयुक्त तथा दिल्ली पुलिस के अन्य कार्मिक घटनास्थल पर पहले ही पहुंच गए थे और भीड़ ने पथराव करके जामा मस्जिद थाने के थाना अधिकारी को जख्मी कर दिया था और दिल्ली पुलिस के कुछ कार्मिकों को घेर रखा था। यह देख कर श्री शंकर लाल, उप निरीक्षक, ओम प्रकाश, हैड कांस्टेबल के साथ भीड़ में घुस गए तथा जख्मी थाना अधिकारी को उठा लिया। उन्होंने हिंसक भीड़ के

चंगुल से दिल्ली पुलिस के एक हैड कांस्टेबल तथा एक जख्मी कांस्टेबल को भी बचाया। केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दल की प्लाटून को हिंसक भीड़ ने घेर लिया था। इसी दौरान यह मालूम हुआ कि पुलिस सहायक आयुक्त के साथ सहबद्ध वायरलैस आपरेटर का पता नहीं चल रहा था तथा भीड़ उसे दूर ले गयी थी। पुलिस सहायक आयुक्त के आदेश पर श्री शंकर लाल ने घिरे हुए पुलिस कर्मचारियों को बचाने के लिए तीन गोलियां चलाईं जिसके परिणामस्वरूप भीड़ तितर-बितर होने लगी। पीछे हटते हुए उन्होंने पुलिस दल पर पत्थर फेंके। श्री शंकर लाल ने श्री ओम प्रकाश तथा अन्य कांस्टेबलों के साथ फेंके जा रहे पत्थरों की परवाह न करते हुए दिल्ली पुलिस के वायरलैस आपरेटर को बचाया।

श्री शंकर लाल ने इस प्रकार उत्कृष्ट वीरता, साहस तथा कर्त्तव्य-परायणता का परिचय दिया।

2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 15 अगस्त, 1980 से दिया जाएगा।

सु. नीलकण्ठन
राष्ट्रपति का उप-सचिव

इस्पात और खान मंत्रालय

खान विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 11 अगस्त 1981

संकल्प

सं. एफ.-23012(133)/80-खान-6—जनवरी, 1947 में हुए खनिज नीति सम्मेलन की सिफारिशों के अनुसरण में भारतीय खान ब्यूरो की स्थापना मार्च, 1948 में हुई थी। शुरू में ब्यूरो ने सरकार के सलाहकार के रूप में कार्य किया लेकिन खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1948 के पास होने पर, भारत सरकार ने दिनांक 19 अगस्त, 1950 की अधिसूचना संख्या एम.-।।/150(125) द्वारा ब्यूरो को और काम सौंप दिए। इन कामों में खनिजों के संरक्षण को सुनिश्चित करने हेतु खानों का निरीक्षण, खनिज परिकरण और खनन समस्याओं पर अनुसंधान, खानों और खनिजों से संबंधित जानकारी का संकलन और प्रकाशन, खनन एवं खनिज उद्योग से संबंधित बुलेटिनों और मोनोग्राफ का प्रकाशन, खनिज व्यापार को खनिजों के विपणन में सहायता तथा खनिज स्रोतों के विकास और उपयोग में केन्द्र और राज्य सरकारों को सलाह देना, शामिल है। 27 फरवरी, 1953 की अधिसूचना संख्या एम.-।।-150(221) द्वारा 1953 में ब्यूरो को खनिज निक्षेपों के गवेषण का भी काम सौंपा गया, लेकिन कोयले से संबंधित पूर्वेक्षण कार्य राष्ट्रीय कोयला विकास नियम को, तथा कोयलेत्तर खनिजों के पूर्वेक्षण, ड्रिलिंग और खनन का काम भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को सौंप दिया गया।

2. भारतीय खान ब्यूरो के कार्यों पर पुनर्विचार के लिए 1966 में सरकार ने एक समिति नियुक्त की। इस समिति की सिफारिशों के अनुसरण में ब्यूरो के कार्यों के घोषणा पत्र को संशोधित करके दिनांक 20-6-1968 के संकल्प संख्या 20/668-एम.-।। के रूप में प्रकाशित किया। इस संकल्प से ब्यूरो को दो नए काम अर्थात् खनन उद्योग को तकनीकी सेवा प्रदान करना तथा खनिज स्रोतों की तालिका हेतु खनिज मानचित्र तैयार करना और सौंप दिए गए।

3. ब्यूरो को सुपुर्द बढ़ते हुए कार्यों को देखते हुए संगठन के उद्देश्यों और कार्यों में सुधार की दृष्टि से सरकार ने 12 अक्तूबर, 1977 के आदेश संख्या एफ.-23012(45)/77-एम-6 के अंतर्गत ब्यूरो के संगठन एवं ढांचे के अध्ययन तथा सुधार के उपाय सुझाने के लिए एक समिति नियुक्त की। समिति ने बहुत सी सिफारिशें की। कुछ सिफारिशें समुद्र-तलीय खनन, पर्यावरण, प्रदूषण नियंत्रण, खनन के बाद भूमि को आवास, कृषि, वृक्षारोपण या जलाशय योग्य बनाने हेतु उसका सुधार, खनिजों के संरक्षण की दृष्टि से खनन उद्योग के लोगों की प्रशिक्षण, परिष्करण और धातु संयंत्रों एवं खनिज आधारित उद्योगों के निरीक्षण से संबंधित थीं। ये विषय ब्यूरो के वर्तमान कार्यपत्रक में शामिल नहीं हैं।

4. सरकार ने सिफारिशों पर विचार करके निश्चय किया कि भारतीय खान ब्यूरो को अतिरिक्त दायित्व संभालने में और राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में समर्थ बनाने में ब्यूरो के कार्यों को निम्नलिखित रूप में रखा जाए :—

भारतीय खान ब्यूरो के कार्यों की तालिका

1. (क) खानों, परिष्करण संयंत्रों और खनिज आधारित उद्योगों के निरीक्षण द्वारा खनिज स्रोतों का संरक्षण और क्रमबद्ध विकास करना;

   (ख) खनन—भूवैज्ञानिक समस्याओं पर भूवैज्ञानिक, खनन, परिष्करण और अन्य प्रौद्यो-आर्थिक अध्ययन तथा व्यावहारिक अनुसंधान;

2. खनन और खनिज परिष्करण कार्यों से पर्यावरण के बचाव और प्रदूषण की रोकथाम हेतु अध्ययन।

3. भारत के खनिज स्रोतों के खनिज मानचित्र और तालिका तैयार करना।

4. निम्नलिखित के संबंध में देश-विदेश में उचित शर्तों पर तकनीकी परामर्शी सेवाएं प्रदान करना :—

   (1) खानों/अयस्क प्रसाधन परियोजनाओं के अंतर्गत खनिज निक्षेपों का मूल्यांकन और विदोहन, अयस्क प्रसाधन खोजें करना तथा अयस्कों और खनिजों का विश्लेषण करना और साध्यता रिपोर्ट तैयार करना;

   (2) दक्षता में सुधार और परिचालन लागतों में कमी,

   (3) बाजार सर्वेक्षण,

   (4) पूंजी संबंधी जरूरतों के लिए वित्तीय विश्लेषण, तथा

   (5) इस तालिका में उल्लिखित अन्य कार्यों से संबंधित विषय।

5. विभागीय कार्यक्रम के अंतर्गत भूगर्भ और समुद्र से प्राप्त नमूनों के प्रसंग में अयस्कों और खनिजों का परीक्षण और विश्लेषण, खनिज परिष्करण तथा अन्य प्रौद्योगिकीय अध्ययन; खनिज परिष्करण के मूलभूत पहलुओं पर शोध।

6. खानों, खनिजों और खनिज आधारित उद्योगों के बारे में आंकड़ों का संकलन, विश्लेषण और संचयन, विश्व खनिज आसूचना, विदेशी खनिज कानूनों आदि मामलों पर जानकारी का संकलन और अनुरक्षण।

7. खनन, खनिज परिष्करण और खनिज आधारित उद्योगों के बारे में बुलेटिन, मोनोग्राफ, सूचना-पत्रों और खोज रिपोर्टों का प्रकाशन।

8. भारत में खनिज के उत्पादन, स्टाक, निर्यात, अवस्थिति, खपत आदि के बारे में सांख्यिकी सूचना का प्रकाशन; खनिज व्यापार को खनिजों के विपणन में सहायता।

9. खनिज उद्योग विशेषतया देश के भूभाग और समुद्रीभाग में विद्यमान खनिज स्रोतों के गिवोहन और उपयोग की योजना बनाने तथा आधारभूत सुविधाओं की जरूरतों, पर्यावरण बचाव और प्रदूषण नियंत्रण, आयात-निर्यात नीति, व्यापार, खनिज कानून, मजदूरों, कर, रायल्टी आदि मामलों में सरकार को सलाह देना।

10. भारत और बाहर के खनिज उद्योग एवं अन्य एजेंसियों के व्यक्तियों सहित विभाग के वैज्ञानिक, तकनीकी और गैर-तकनीकी कर्मचारियों को प्रशिक्षण।

11. संग्रहालयों, प्रदर्शनियों तथा अन्य संचार माध्यमों द्वारा खनिज सम्पदा के संरक्षण और क्रमिक विकास के बारे में जागृति पैदा करना।

12. खनन, खनिज परिष्करण और संबंधित प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवीन खोजों के प्रसंग में यथा-आवश्यक कार्यकलाप करना।

आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रतिलिपि सभी राज्य सरकारों, संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासकों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, राष्ट्रपति सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, प्रधान मंत्री कार्यालय, योजना आयोग, भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, भारत के वाणिज्य, निर्माण एवं विविध कार्य महालेखापाल तथा विदेश स्थित भारतीय दूतावासों और उच्चायोगों को भेज दी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

ए. के. वैंकटसुब्रमण्यन,
निदेशक

शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय
(शिक्षा विभाग)
नई दिल्ली, दिनांक 7 जुलाई 1981

संकल्प

क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों के लिए सलाहकार समिति का गठन

सं. एफ. 13011/5/79-टी.-4—केन्द्रीय सरकार ने, क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों के विकास के सभी नीति सम्बन्धी मामलों के बारे में मार्गदर्शी रूपरेखाएं निर्धारित करने और केन्द्रीय शिक्षा मंत्री को सलाह देने के लिए एक सलाहकार समिति इस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एफ. 37-15/78-टी.-4 दिनांक 23 नवम्बर, 1976 के जरिए गठित की थी। सलाहकार समिति, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा मई, 1976 में हुई इसकी बैठक में की गई सिफारिशों के आधार पर गठित की गई थी।

2. तत्पश्चात् यह देखा गया कि समिति के वर्तमान गठन में सभी 15 क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों को कभी कोई प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हुआ। सलाहकार समिति द्वारा 24 अप्रैल, 1979 को हुई इसकी बैठक में तथा बाद में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा 21 अप्रैल, 1981 को हुई इसकी बैठक में इस मामले पर विचार किया गया था। अखिल भारतीय परिषद् ने सलाहकार समिति को गठन को संशोधित कर दिया है जो केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। समिति का संशोधित गठन निम्न प्रकार होगा :—

अध्यक्ष

1. केन्द्रीय शिक्षा मंत्री

सदस्य

2. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अध्यक्ष

3. बारी बारी से प्रत्येक क्षेत्र की क्षेत्रीय इंजीनियरी से कालेज सोसाइटी का अध्यक्ष

6.
तक

7. 15 क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों के प्रधानाचार्य
से
21
तक

22. शिक्षा सचिव, शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार

23. वित्त सलाहकार, शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार

24. शिक्षा सलाहकार (तकनीकी) शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार.....अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के नामजद व्यक्ति के रूप में

25. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान परिषद् के अध्यक्ष द्वारा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के निदेशकों में से नामजद एक निदेशक

26. विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार का एक नामजद व्यक्ति

27. योजना आयोग का एक प्रतिनिधि

28. वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् का एक प्रतिनिधि

29. प्रत्येक क्षेत्र के एक-एक व्यक्ति के हिसाब से अध्यक्ष से द्वारा नामजद उद्योग के चार व्यक्ति

32
तक

सदस्य सचिव

33. उप-शिक्षा सलाहकार (तकनीकी) शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार

3. तथापि, सलाहकार समिति के कार्य तथा इसका कार्यकाल वही रहेगा जो पहली अधिसूचना में दिया गया है।

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रतिलिपि सभी राज्य सरकारों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा सभी क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों को भेज दी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सूचनार्थ भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए।

सी. एस. झा
शिक्षा सलाहकार (तकनीकी)

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 25th August 1981

No. 57-Pres/81.—The President is pleased to award the President's Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Central Reserve Police Force :—

Name and rank of officer

Shri Om Prakash,
Head Constable,
33rd Battalion,
Central Reserve Police Force.

Statement of Services for which the decoration has been awarded

On the 15th August, 1980 there was apprehension of communal trouble in Ballimaran area of Delhi. On receipt of information that trouble was brewing up there, a platoon of Central Reserve Police Force was rushed to the area at about 1230 hours. On reaching there it was found that the Additional Commissioner of Police, Delhi, and other Police personnel of Delhi had already reached the place and that the Station House Officer of Police Station Jama Masjid had been injured due to pelting of stones by the mob and that some personnel of Delhi Police had been encircled by the mob. Seeing this, Shri Om Prakash, Head Constable, alongwith Shri Shankar Lal, Sub-Inspector, rushed into the mob and physically picked up the Station House Officer and brought him out of the mob on his back. He also made another attempt and rescued one Head Constable and an injured constable of Delhi Police from the clutches of the violent mob. It was then learnt that the Wireless Operator attached to the Assistant Commissioner of Police was not traceable and had been taken away by the mob. Shri Om Prakash alongwith Shri Shankar Lal, Sub-Inspector, and three Constables saved the entrapped W. T. Operator also. In disregard of his personal safety, he physically lifted the injured, WT Operator and brought him back to safety. On the orders of the Additional Commissioner of Police, three rounds were fired at the mob but when the mob did not disperse, the Additional Commissioner of Police ordered the Central Reserve Police Force to fire again. As a result of the second firing, the situation improved a little. The Additional Commissioner of Police then moved towards Chawri Bazar with Shri Om Prakash as an escort. Due to various deployments, Police strength in the area dwindled. Shri Om Prakash then volunteered to rush to Chandni Chowk all alone to bring reinforcement for Jama Masjid. On the way he noticed a fire tender being mobbed by the agitated rioters who had even opened the water taps to render the tender ineffective. Unmindful of the consequences, Shri Om Prakash singlehandedly closed the pipes and managed the vehicle to move to the place where fire tackling was required.

Shri Om Prakash thus exhibited conspicuous gallantry, exceptional courage and devotion to duty of a very high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 15th August, 1980.

No. 58-Pres/81.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Central Reserve Police Force :—

Name and rank of the officer

Shri Ravi Kumar,
Assistant Commandant,
11 Battalion,
Central Reserve Police Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded

On the 15th August, 1980, at about 1430 hours, a message was received by the Headquarters of 11 Battalion, Central Reserve Police Force, that communal trouble had broken out in the area of Hauz Qazi Police Station of Delhi. On receipt of the information, Shri Ravi Kumar, Assistant Commandant, alongwith Deputy Superintendent of Police and available constable rushed to the spot to supplement two sections of Central Reserve Police Force which were already deployed there. He rushed to Baradari-Jogiwara-Ballimaran Junction by a short-cut. On reaching there, he found that a violent mob had set ablaze some houses and shops. Central Reserve Police Force section had been deployed at roof-tops on Jogiwara-Ballimaran side. Shri Ravi Kumar physically intervened and with the help of Central Reserve Police Force personnel pushed the mob to a distance of 80 yards in order to prevent them from setting fire to any more shops. Without caring for his personal safety he also undertook extinguishing of the fire in a house with the help of some civilians. He sustained burn injuries on his right hand. In the meantime, another flurious mob was seen advancing from Chandni Chowk to Ballimaran. They were indulging in heavy brick-batting. Realising the menace of the mob, Shri Ravi Kumar rushed, towards the mob. He was hit by stones from the house-tops. He then shouted that he belonged to the area and knew the culprits. This caused confusion in the mob which showed signs of dispersal. One of the miscreants aimed a pistol at Shri Ravi Kumar. On seeing this a constable of Central Reserve Police Force aimed his loaded rifle and this was enough for the mob to disperse.

Shri Ravi Kumar thus exhibited devotion to duty, courage and conspicuous gallantry.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 15th August, 1980.

No. 59-Pres./81.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Delhi Police :—

Name and rank of officer

Shri Mauji Khan,
Inspector of Police,
(Station House Officer)
Jama Masjid, Delhi.

Shri Annadurai,
Constable 1046/C,
Central District,
Delhi.

Shri R. N. Tyagi,
Constable No. 263/C,
Central District,
Delhi.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On the 15th August, 1980, after the prayers were over in Jama Masjid and the people started leaving the mosque, a group of people started shouting religious and anti-police slogans in view of happenings in Moradabad. They marched towards Chawri Bazar. While they were passing through Chawri Bazar, a group of local shop-keepers also assembled and both the groups came in confrontation and challenged each other. They soon resorted to brick-batting. On receipt of this information, Shri Mauji Khan along with the Deputy Commissioner of Police and Assistant Commissioner of Police

rushed to Chawri Bazar. Some persons threw brick-bats from roof-tops to stop the Police party. Sensing that if the two groups were allowed to come closer, it would result in bloodshed, the Deputy Commissioner of Police, Assistant Commissioner of Police and Shri Mauji Khan tried to reason and contain the crowd. The police party swung into action and fired tear-gas shells. The mob melted a little but re-grouped themselves and tried to attack the policemen. In the mean-time, another mob appeared from Gali Gulyan side but the Police party pushed that group back. The riotous mob then tried to set a gas cylinder on fire which was lying on the road side but Shri Mauji Khan facing heavy brick batting and missiles and in disregard of his personal safety saved the cylinder from exploding. They also stopped the mob from causing fire to more shops and damaging life and property of the people.

A group of people coming from Jama Masjid had a clash in Ballimaran area. On hearing about the clash, the Deputy Commissioner of Police of the area along with the Assistant Commissioner of Police and the Station House Officer, Hauz Qazi with a small police party rushed to Ballimaran. The Police party placed themselves between two warring groups. Despite tear-gassing, the crowds on both the sides started swelling and within a few minutes started throwing stones, soda water bottles, acid bottles, etc. The members of the two groups got on to the roof-tops. The Police party advanced towards North to control the crowd, but they started throwing stones, brick bats, soda water and acid bottles on them and even indulged in firing. The Police party called for reinforcements. They had also to resort to firing. Shri Annadurai and Shri R. N. Tyagi who had been badly trapped and had received serious injuries got separated. But in disregard of numerically large violent crowd, they continued battling with them and succeeded in controlling a sizeable crowd at the risk of their lives. The police party had to fire in order to rescue these two brave constables. They had to grapple sometimes with the crowd in a hand to hand fight. In the process even the wireless set with the Police party was smashed to pieces. But the Police party kept courage and controlled the crowd.

Shri Mauji Khan, Shri Annadurai and Shri R. N. Tyagi thus exhibited conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 15th August, 1980.

No. 60-Pres./81.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Central Reserve Police Force :—

Name and rank of the officer

Shri Shankar Lal,
Sub-Inspector,
33 Battalion,
Central Reserve Police Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded

On the 15th August, 1980, there was apprehension of communal trouble in the Ballimaran area of Delhi. On receipt of information that trouble was brewing up there, a platoon of Central Reserve Police Force was rushed to the area at about 1230 hours. On reaching there it was found that the Additional Commissioner of Police, Delhi, and other police personnel of Delhi had already reached the place and that the Station House Officer of Police Station Jama Masjid had been injured due to pelting of stones by the mob and that some personnel of Delhi Police had been encircled by the mob. Seeing this Shri Shankar Lal, Sub-Inspector, along with Shri Om Prakash, Head Constable, rushed into the mob and physically lifted the injured Station House Officer. They also rescued one Head Constable and one injured Constable of Delhi Police form the clutches of the violent mob. The Central Reserve Police Force platoon was encircled by the violent mob. In the mean-time it was learnt that W. T. operator attached to the Assistant Commissioner of Police was not traceable and had been taken away by the mob. On the orders of the Additional Commissioner of Police, Shri Shankar Lal fired three rounds to save the trapped policemen, as a result of which the mob showed signs to disperse. While retracing they pelted stones at the Police party. Shri Shankar Lal alongwith Shri Om Prakash and other Constables saved the wireless operator of Delhi Police in disregard of the pelting of stones.

Shri Shankar Lal thus exhibited conspicuous gallantry, courage and devotion to duty.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 15th August, 1980.

S. NILAKANTAN, Dy Secy.
to the President

MINISTRY OF STEEL AND MINES

(DEPARTMENT OF MINES)

New Delhi, the 11th August 1981

RESOLUTION

No. F-23012(133)/80-MVI.—The Indian Bureau of Mines was formed in March, 1948 in accordance with the recommendations of the Mineral Policy Conference held in January, 1947. The Bureau started functioning as an advisory body to the Government but consequent on the enactment of the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1948, the Government of India added to the functions of the Indian Bureau of Mines by their notification No. M-II/150 (125) dated 19th August, 1950. These included inspection of mines for ensuring conservation of minerals, conducting research on mineral beneficiation and mining problems, collection and publication of statistics relating to mines and minerals, publication of bulletins and monographs relating to the mining and mineral industry, assisting the mineral trade in the marketing of minerals, and advising the Central and State Governments on the development and utilisation of mineral resources. In 1953, by notification No. MII-150/(221) dated 27th February 1953 the Bureau was entrusted with one more function namely exploration of mineral deposits. Later, however, the activity concerning prospecting for coal was transferred to National Coal Development Corporation and the activities of prospecting, drilling for and mining of non-coal minerals were also transferred to the Geological Survey of India.

2. In 1966 a Committee was set up by Government to review the organisation of Indian Bureau of Mines and its functions. Pursuant to the recommendations made by this Committee, the Charter of functions of the Bureau was revised and notified in resolution No. 20(6)/68-MIII dated 20th June 1968. This resolution elaborated the earlier functions and also added two new functions, namely to provide technical services to the mining industry and to prepare mineral maps leading to an inventory of mineral resources.

3. Considering the still expanding scope of functions assigned to the Bureau, Government constituted a Committee vide order No. F-23012(45)/77-MVI dated 12th October, 1977 to study the organisation and structure of the Bureau and suggest suitable improvements with a view to fulfill the objectives and functions of the organisation. The Committee made a number of recommendations, some of which involve increasing the field of operation of the Indian Bureau of Mines to deal with matters such as sea bed mining, environmental and pollution control, reclamation of land after mining operations to make it useful for habitation, cultivation, afforestation or water storage etc., imparting of training to persons from the Industry and inspection of beneficiation and metallurgical plants and mineral-based industries with a view to enforce conservation of minerals. These matters are not included in the present charter of functions of the Indian Bureau of Mines.

4. Government have considered the recommendations and have decided that in order to enable the Indian Bureau of Mines to undertake the additional responsibilities and to play a more significant role in the national economy, the functions of the Bureau should be :—

Charter of Functions of Indian Bureau of Mines

1. (a) Enforcing conservation and systematic development of mineral resources through inspection of mines, beneficiation plants, and mineral-based industries;

(b) Conducting geological, mining, beneficiation and other related techno-economic field studies and applied research on mining geological problems.

2. Conducting studies on environmental protection and pollution control in regard to the mining and mineral beneficiation operations.

3. Preparation of mineral maps and the inventory of mineral resources of India.

4. Providing technical consultancy services on suitable terms within the country and abroad in connection with :

(i) apparisal and exploitation of mineral deposits including ore dressing investigations and analysis of ores and minerals and preparation of feasibility reports and detailed project reports of mines/ore-dressing projects,

(ii) improving efficiencies and reducing operation costs,

(iii) market surveys,

(iv) financial analysis of capital requirements, and

(v) matters related to any of the functions enunciated in this charter.

5. Conducting under the departmental programme testing and analysis of ores and minerals, mineral beneficiation and related technological studies on samples obtained from land and sea; research on fundamental aspects of mineral beneficiation.

6. Collection processing and storage of data on mines, minerals and mineral-based industries, collection and maintenance of world mineral intelligence, foreign mineral legislation and other related matters.

7. Publication of bulletins, monographs, information circulars and reports of investigations relating to mining, mineral beneficiation and mineral-based industries.

8. Publication of statistics relating to mineral production in India, mineral stocks, exports, local consumption, etc., rendering assistance to the mineral trade in the marketng of minerals.

9. Advising the Government on matters in regard to the mineral industry particularly on planning for exploitation and utilisation of the country's mineral resources and those of the sea, infrastructural requirements, environmental protection and pollution control, export and import policies, trade, mineral legislation, wages, taxes, royalty and related matters.

10. Training of scientific, technical and other cadres of the department and persons from the mineral industry and other agencies in India and abroad.

11. Promoting awareness regarding the conservation and systematic development of mineral deposits through museums, exhibitions and other audio-visual media.

12. Undertaking such other activities as may became necessary in the light of the developments in the field of mining, mineral beneficiation and related technology.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all State Governments, Administrators of Union Territories, all Ministries of the Government of India, President's Secretariat, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Office, Planning Commission, Comptroller and Auditor General of India, Accountant General, Commerce, Works & Miscellaneous of India and the Embassies and High Commissions for India in foreign countries.

ORDERED also that this Resolution be published in the Gazette of India for general information.

A. K. VENKATA SUBRAMANIAN, Director.

MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE

New Delhi, the 7th July 1981

RESOLUTION

Constitution of the Advisory Committee for the Regional Engineering Colleges

F. No. 13011/5/79-T.4.—An Advisory Committee was constituted by the Central Government *vide* this Ministry's Notification No. F. 37-15/76-T., dated 23 November 1976 to advise the Union Education Minister and to lay down guidelines on all policy matters for the development of the Regional Engineering Colleges. The Advisory Committee was constituted on the recommendations of the All India Council for Technical Education made its meeting in May 1976.

2. Subsequently, it was observed that with the present constitution of the Committee, all the 15 Regional Engineering Colleges were not represented on the Committee at any point of time. This matter was considered by the Advisory Committee at its meeting held on the 24th April 1979 and later on by the All India Council for Technical Education at its meeting held on the 21st April 1981. The All India Council revised the composition for the Advisory Committee which has been accepted by the Central Government. The revised composition of the Committee will be as follows :—

(1) Union Education Minister	Chairman
(2) Chairman of the University Grants Commission.	Member
(3) to (6) Chairman of one Regional Engineering College Society in each region by rotation	Members
(7) to (21) Principals of 15 Regional Engineering Colleges.	Members
(22) Education Secretary, Ministry of Education & Culture, Govt. of India.	Member
(23) Financial Adviser, Ministry of Education & Culture, Govt .of India.	Member
(24) Educational Adviser (Technical) Ministry of Education & Culture Govt. of India as a nominee of the AICTE.	Member
(25) One of the Directors of Indian Institutes of Technology, nominated by the Chairman of the Indian Institutes of Technology Council.	Member
(26) A nominee of the Department of Science and Technology, Govt. of India.	Member
(27) A representative of the Planning Commission.	Member
(28) A representative of the Council of Scientific & Industrial Research.	Member
(29) to (32) Four persons from Indusrty, one from each region, to be nominated by the Chairman.	Members
(33) Deputy Educational Adviser (T) Ministry of Education & Culture Govt. of India.	Member-Secretary

3. The functions and term of office of the Advisory Committee will, however, remain the same as given in the Notification earlier.

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all the State Governments, all the Ministries of the Government of India and all the Regional Engineering Colleges.

ORDERED also that a resolution be published in the Gazette of India for information.

C. S. JHA, Educational Adviser (T).

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1981